



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन, 1941 (श०)

संख्या- 161 राँची, सोमवार,

16 मार्च, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

5 मार्च, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-250/2014 का०-1759-- श्री गोपाल दास, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-137/03, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के विरुद्ध नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1254/न०वि०वि०, दिनांक-23.05.2009 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

“उप सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-207, दिनांक 24.01.2009 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बी०सी० नं०-18/1426/05 श्री पी० बुटाला, जतिन चन्द्र लेन, न्यू पी० एण्ड टी० कॉलोनी, लालपुर, राँची के भवन प्लान में B+G+3 के नक्शा की स्वीकृति संचिका में सशर्त तत्कालीन श्री एम०पी० मिश्र, उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची द्वारा दिनांक 31.12.2007 को प्रदान की गई थी, परन्तु नक्शा निर्गत नहीं किया गया था। जबकि संबंधित भूखण्ड का दाखिल-खारिज का मामला अंचल अधिकारी, शहर अंचल के न्यायालय में लम्बित था तथा स्वीकृति के समय शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद निर्गत नहीं था।

दिनांक 08.12.2008 को श्री गोपाल दास, उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची द्वारा नक्शा निर्गत करने के बिन्दु पर प्राधिकार के अधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त करने के लिए दिये

गये आदेश के आलोक में श्री आर०के० सिन्हा, प्राधिकार अधिवक्ता ने दिनांक 06.12.2008 को निम्नांकित टिप्पणी अंकित की-

पृष्ठ संख्या-2 एवं 3 के टिप्पणी में सचिव द्वारा भू-स्वामित्व एवं कागजात सही होने का उल्लेख किया गया है एवं पृष्ठ संख्या-6 एवं 7 का टिप्पणी भू-सम्पदा पदाधिकारी द्वारा भू-स्वामित्व सही होने का उल्लेख किया गया है। पृष्ठ संख्या-377 से 391/प० पर श्री बुटाला के शपथ पत्र के पारा-8 में यह बात लिखित दिया है कि दाखिल-खारिज वाद में स्वीकृत नहीं होने पर पारित नक्शा रद्द कर दिया जाय। वैसी स्थिति में प्राधिकार अधिवक्ता की राय है कि पारित नक्शा निर्गत किया जा सकता है, लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा शुद्धि पत्र एवं लगान की रसीद निर्गत नहीं किये जाने पर नक्शा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त प्राधिकार अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में श्री गोपाल दास, उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची द्वारा नक्शा निर्गत करने की स्वीकृति दी एवं कार्यपालक अभियंता, श्री बिरुआ एवं सचिव के हस्ताक्षरोपरान्त नक्शा निर्गत किया गया।

इस मामले में दाखिल-खारिज का वाद अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के यहाँ लम्बित है एवं शुद्धि पत्र तथा लगान रसीद निर्गत नहीं है। सिर्फ प्राधिकार के अधिवक्ता के मंतव्य पर नक्शा निर्गत करना नियमानुकूल नहीं है। प्राधिकार के अधिवक्ता के द्वारा अपने मंतव्य में राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के किसी नियम/वायलॉज का उल्लेख नहीं किया गया है।

भवन प्लान सं०-1426/05 में तथा भूखण्ड के प्लॉट सं०-1359 का दाखिल-खारिज (Mutation) लम्बित रहने एवं शुद्धि पत्र/लगान रसीद निर्गत नहीं होने के बावजूद श्री गोपाल दास, उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के द्वारा नक्शा निर्गत करने का आदेश देना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। उक्त भवन प्लान का नक्शा निर्गत करने के लिए आप दोषी हैं।”

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4358, दिनांक 03.07.2009 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, किन्तु दिनांक 30.06.2009 को श्री दास के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण संबंधित पत्र का तामिला नहीं हो पाया एवं विभागीय पत्रांक-4850, दिनांक 24.07.2009 द्वारा संबंधित स्पष्टीकरण श्री दास के आवसीय पते पर भेजा गया। इसके अनुपालन में श्री दास के पत्र, दिनांक 02.12.2009 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री दास के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3044, दिनांक 24.05.2010 द्वारा नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य माँग की गयी। कई स्मार पत्र एवं अर्द्ध सरकारी पत्र निर्गत किये जाने के बाद नगर विकास विभाग के पत्रांक-68, दिनांक 03.01.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य अस्पष्ट रहने के कारण विभागीय पत्रांक-3810, दिनांक 22.03.2017 द्वारा स्पष्ट मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में नगर विकास विभाग के पत्रांक-2667, दिनांक 02.05.2018 द्वारा उल्लेख किया गया कि निगरानी ब्यूरो, राँची द्वारा संबंधित भवन प्लानों की संचिका अनुसंधान हेतु निगरानी कांड सं०-20/2009, दिनांक 29.10.2010 वाद में जब्त कर ली गई है एवं संचिका के अभाव में स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

मामले की समीक्षोपरांत, झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के आलोक में श्री दास के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गयी। तदनुसार, विभागीय संकल्प संख्या-1211, दिनांक 08.02.2019 द्वारा श्री दास के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-125, दिनांक 21.05.2019 द्वारा श्री दास के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री दास के विरुद्ध गठित आरोप सही प्रतिवेदित किया गया है।

श्री दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संलाचन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, श्री दास के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने के बिन्दु पर कारण पृच्छा पूछने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक-6640, दिनांक-21.08.2019 द्वारा श्री दास से दण्ड अधिरोपण के बिन्दु पर कारण पृच्छा की गयी। इसके अनुपालन में, श्री दास के पत्र, दिनांक-17.09.2019 द्वारा कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

(i) श्री एम०पी०मिश्रा के कार्यालय में ही आवेदक श्री बुटाला ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि नक्शा पारित होने पर जमा कर दिया जाएगा, उन्हें नक्शा निर्गत किया जाए, जिस पर दिनांक 20.03.2008 को नगर निवेशक श्री राम कुमार सिंह ने नक्शा निर्गत करने हेतु प्रस्ताव देते हुए शर्त लगाया कि 3 माह के अंतर्गत मालगुजारी रसीद जमा करने के शर्त पर नक्शा निर्गत किया जा सकता है। अन्यथा नक्शा पर पुर्नविचार किया जा सकता है। श्री एम०पी० मिश्रा ने अपनी सहमति दी। इस प्रकार नक्शा पारित करने एवं निर्गत करने का आदेश श्री एम० पी० मिश्रा ने दिया।

(ii) मेरे समक्ष दिनांक 08.12.2008 को संचिका सचिव के माध्यम से इस प्रस्ताव के साथ उपस्थित किया गया कि प्राधिकार के अधिवक्ता से इस पर मंतव्य लिया जा सकता है, जिस पर मैंने सहमति दी। साथ ही 3 दिनों के अंदर उपस्थापित करने का आदेश दिया। मैंने आनन-फानन में कोई कार्यवाही नहीं की, परन्तु अधिवक्ता के मंतव्य जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा मालगुजारी रसीद जमा नहीं करने पर रद्द करने की कार्यवाही के प्रस्ताव पर यथा शर्त नक्शा निर्गत करने के पूर्व आदेश को दोहराया, कोई नया आदेश नहीं दिया है।

श्री दास द्वारा समर्पित कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) यह सही है कि श्री एम०पी० मिश्रा के कार्यकाल में तीन माह के अंतर्गत मालगुजारी रसीद जमा करने की शर्त पर नक्शा पारित करने एवं निर्गत करने का आदेश दिया गया था, किन्तु आवेदक श्री बुटाला के द्वारा मालगुजारी रसीद जमा नहीं किये जाने के कारण नक्शा निर्गत नहीं किया गया, किन्तु श्री दास के कार्यकाल में बिना मालगुजारी रसीद जमा किये ही नक्शा निर्गत करने की कार्रवाई की गई। इसलिए श्री दास का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(ii) आरोपी के समक्ष दिनांक 08.12.2008 को संबंधित संचिका उपस्थापित की गई एवं उसी तिथि को प्राधिकार के अधिवक्ता श्री आर०के० सिन्हा का मंतव्य प्राप्त कर उसी दिन श्री दास द्वारा नक्शा निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। अतः श्री दास का आनन-फानन में उक्त कार्रवाई नहीं करने संबंधी कथन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

समीक्षोपरांत, श्री दास के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 20% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। जिसके उपरांत विभागीय पत्रांक-123, दिनांक 07.01.2020 द्वारा श्री दास के विरुद्ध उक्त दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी। उक्त के आलोक में सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-455, दिनांक 19.02.2020 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

अतः श्री गोपाल दास, तत्कालीन उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली की धारा-43(बी) के अंतर्गत पेंशन से 20% राशि की कटौती पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
